प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 14.03.2025

प्रेस नोट दि0-14.03.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

लूट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को डीधवट मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 11.03.2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर अण्डर के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा वादी के मुर्गे छीनकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0स0 61/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 राजनारायण यादव, का0 विकाश बाबू, का0 सलोने, का0 रणजीत कुमार, का0 प्रदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 61/2025 धारा 310 (2) / 317 (3) / 127 (7) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों, 01.रामजी जायसवाल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जायसवाल निवासी ग्राम माधवपुर (तिवारीपुर) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 02- विशाल गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता निवासी बझान (जगतीपुर) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के डीधवट मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो ने दिनांक- 10/11.03.2025 की मध्य रात्रि एक योजना बनाये जिसमे हम कुल पांच लोग समिल थे। हम लोग अपनी दो मो0सा0 से दादूपुर अण्डर पास के करीब कच्चे रास्ते व सुन सान जगह पर पावर हाउस के पीछे खडे होकर मुर्गी फारम भभुआर की तरफ से आने वाली मुर्गी की गाडियो का इंतजार कर रहे थे। कि इतने में ही समय करीब 1.00 बजे रात्रि के आसपास एक पिकप गाडी मुर्गी

फार्म भभुआर की तरफ से आती दिखायी दी। कि हम पांचो लोग आती हुई। बोलेरो पिकप को हाथ देकर रूकवा लिये जिस पर मुर्गीया लदी थी। जिसमें पिकप के ड्राईवर व खलासी बैठे थे। ड्राईवर व खलासी को हम लोग डरा धमकाकर भय दिखाकर गाडी से उतार दिये तथा दोनो को लेकर कुछ दूर जाकर उनकी तलाशी लिये। तो दोनो के पास कुछ नही होने पर हम लोगों में से हमारा एक साथी उपरोक्त मुर्गी लदी पिकप को लेकर चला गया। शेष बचे हम चारो लोग पिकप के ड्राईवर व खलासी को एक तरफ रोड़ पर ले जाकर बात चित करते रहे। यह कहकर बहलाते फुसलाते रहे कि तुम लोग किसी लडकी से बात करते हो क्या यह कहकर तथा बात चित करके टाईम पास करते रहे तब कुछ देर बाद पुनित जायसवाल मुर्गियों को अनलोड / बेचकर खाली पिकप लेकर आया। बताया कि हमने मुर्गियो को नेवादा इलियास के मुर्गी फार्म मे बेच दिया है। पैसा बाद मे देने हेतु बताया है। इसके बाद हम लोगों ने पिकप के ड्राईवर व खलासी को इनकी पिकप बोलेरो को दे दिया। हम पांचो लोग वहा से चले गये। आज हमारे साथी ने बताया था कि तुम लोग नेवादा मुर्गी फार्म पर जाकर पैसा ले लो। खडी वाहन सुपर स्पेलेण्डर के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताये कि साहब यह वही गाडी है। जिससे हम लोगो ने घटना को अंजाम दिया था

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामजी जायसवाल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जायसवाल निवासी ग्राम माधवपुर (तिवारीपुर) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

02- विशाल गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता निवासी बझान (जगतीपुर) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 राजनारायण यादव, का0 विकाश बाबू, का0 सलोने, का0 रणजीत कुमार, का0 प्रदीप यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।